कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 102 / FP/UK/ROAD/42084/2020 देहरादूनः दिनांकः 10 जुलाई, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत एचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूईरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.847 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/42084/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.847 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 13 वृक्षो का पातन निहित है, जो कि प्रति हे0 50 वृक्ष से कम है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
9/7/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/42084/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत एचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूईरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.847 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/42084/2020)

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत एचोली बडाबे मोटर मार्ग के किमी0 13 पत्थरखानी से सेलकटिया डुबलिया विजरकाण्डा धूईरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.847 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.067 हे0 पंचायत वन भूमि 0.78 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 0.847 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–पिथौरागढ/प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में 13 वृक्षो का पातन निहित है, जो कि प्रति हे0 50 वृक्ष से कम है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 07/07/2020
स्थान : देहरादून